प्रकरण संख्या 20/2018 सुन्दर व अन्य बनाम पृथ्वीराज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चराणा में आराजी नंबर 2561, 2563, 2564, 2572 स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी चाह संख्या 2564 में आने–जाने के लिए आवागमन का पुराना रास्ता मुख्य रास्ते से आराजी संख्या 2553 के दक्षिण पश्चिम में प्रवेश होकर पूर्व की ओर स्थित आराजी नंबर 2557 व 2566 में अग्रसर होता है तथा प्रार्थीगण की चाह नंबर 2564 तक आता है जहां से प्रार्थीगण अपने अन्य खेतों पर आते–जाते हैं। उक्त रास्ता करीब 18–20 फिट चौड़ा होकर कई वर्शो से प्रार्थीगण इसका उपयोग करते चले आ रहें तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। आराजी संख्या 2553 पूर्व में बिलानाम सिवाय चक दी जिसमें से 1 बीघा भूमि उत्तरी दिशा का भाग डालू पिता उदा को आवंटित कर दिया गया, जिसके वर्तमान नंबर 3157/2553 बने हैं तथा उक्त आराजी का 1 बीघा दक्षिणी ओर का मांगू पिता नाथू जाट जो विपक्षी संख्या 1 से 5 पिता/पति हैं को गैर खातेदारी हक से आवंटित कर दिया गया एवं बाद में खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये, जिसके नये नंबर 3158/2553 बने हैं। इसके बावजूद भी उक्त भूमि का 7 बिस्वा रकबा आराजी नंबर 2553 का बिलानाम मौजूद है, जिसके दक्षिणी तरफ 1 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करते हुए प्रार्थीगण के वर्शो पुराने आवागमन को बाधित किया जा रहा है। अतः निवेदन किया कि नंबर 3158/2553 रकबा 1 बीघा के दक्षिणी ओर मुख्य रास्ते से पश्चिम स पूर्व सम्पूर्ण 18–20 फिट का रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में अंकन	

किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 22.06.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04.09.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए । रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 8 की आर से वकील श्री कुलदीप पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को उक्त आदे"ा की जानकारी दिनांक 12.08.2018 को हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जानकारी होने की दिनांक गलत बतायी है, जबकि प्रार्थीगण को भारू से ही उक्त प्रकरण की जानकारी थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से खारिज की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्टगण के वक्त निर्णय उपस्थिति होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगत न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अपीलान्ट द्वारा आदे"ा 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर उसके साथ कुछ दस्तावेजात

प्रस्तुत किये तथा उन्हें न्यायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

उक्त दस्तावेजों का हमारे द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया कि रजिस्ट्री दिनांक 23–10–1984 प्रमाणित प्रति है, जिसे न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु दिनांक 07–12–1983 का विकय पत्र मात्र फोटो प्रति है, जिसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। तद्नुसार आदे"ा 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन आं"िाक रूप से स्वीकार किया जाकर रजिस्ट्री दिनांक 23–10–1984 प्रमाणित प्रति को रेकार्ड पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 07–12–1983 का विकय पत्र मात्र फोटो प्रति होने से इसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली की अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प दिनांक 22.06.2017 को किसी भी पक्ष की उपस्थिति अंकित नहीं की है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पर्चा मौका के आधार पर राजस्व अभिलेखों व नक"ो के विपरीत निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व उनके पूर्वाधिकारी भागू से ही आम रास्ते के प"िचम में स्थित आराजी संख्या 2557 के प"िचमी उत्तर भाग से होकर आते–जाते रहे हैं एवं अपीलान्ट की आराजी नंबर 3158/2553 से कभी भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध

साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि पत्रावली विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण की भूमि से रास्ता देने का आदे"ा पारित कर दिया है, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विपक्षीगण का जवाब प्राप्त कर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 20/2018 सुन्दर व अन्य बनाम पृथ्वीराज व अन्य

प्रकरण संख्या 20/2018 सुन्दर व अन्य बनाम पृथ्वीराज व अन्य